सरयू राय

13

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

झारखण्ड सरकार

पत्रांक, 2054/मंत्री.को.
दिनांक, 27-08-18

मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार.

दिनांक 23.8.2018 की शाम करीब 6 बजे मुझे navneetrasha@gmail-com से एक मेल आया जिसके साथ दो अनुलग्नक हैं. इस मेल की प्रति अनुलग्नकों सहित संलग्न है. मेल मे मुझपर आक्षेप है कि मैं पद का दुरुपयोग कर किसी दर्शन सिंह की जमीन पर हो रहा निर्माण रोक देने के लिये कई बार कई लोगो से कहा है. पर यह हुआ नहीं. मेल में आगे इन्होने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि उन्होने यह मेल मुख्यमंत्री, दिनेश सहित भाजपा के कई लोगो को भेजा है. वे इसे ट्विटर पर भी डालेंगे और मुझे काला झंडा दिखायेंगे. इन्होने मुझपर आरोप लगाया है कि मैं किसी जागीर सिंह का पक्ष ले रहा हूँ.

मेल के साथ संलग्न एक अनुलग्नक दिनांक 14.8.2018 को अनुमंडलाधिकारी अधिकारी, धालभूम द्वारा पारित एक आदेश की प्रति है जो स्वतः स्पष्ट है. इसमें किसी नईम खां ने बिस्टुपुर, जमशेदपुर, के एक आवेदन भूखंड पर धारा 144 लगाने का आवेदन अनुमंडलाधिकारी को दिया है और कहा है कि दर्शन सिंह नाम का व्यक्ति इसपर कब्जा कर रहा है. दूसरा अनुलग्नक किसी दर्शन सिंह द्वारा हाथ से लिखा और बिस्टुपुर के थाना प्रभारी को संबोधित एक आवेदन की प्रति है जिसमे इनके द्वारा थाना प्रभारी से सुरक्षा माँगी गई है. कारण कि जागीर सिंह नाम का कोई व्यक्ति इनके जमीन पर बन रहे मकान के निर्माण में बाधा डाल रहा है तथा 15 लाख रुपया रंगदारी माँग रहा है और ये इससे भयभीत है.

इनका मेल मिलने के बाद मैने इन्हें जवाब भेज दिया कि मैने सीओ से इस बारे में कागजात दिखाने के लिये कहा है. मैं इस मामले की गहराई मे जाऊँगा और जो भी होगा विधिसम्मत होगा. पर मेल लिखते समय आपको भाषा का ध्यान रखना चाहिये. जवाबी मेल में इन्होने खेद व्यक्त किया है और कहा है कि इस बारे मे गहराई में जरूर जाना चाहिये.

कल दिनांक 24.8.2018 को इस मामले के बारे मे और इस संबंध से मिली जानकारी के फलाफल के बारे मे मेरी कई व्यक्तियों से दूरभाष पर बातचीत हुई जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं.

आरक्षी महानिदेशक, झारखंड सरकार,
उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम,

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2401023, फैक्स : 0651-2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

उपायुक्त, पूर्वी सिहभूम,
आरक्षी उपमहानिरीक्षक, कोल्हान प्रक्षेत्र,
वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिहभूम,
पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर शहर,
विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अक्षेस,
अंचलाधिकारी, जमशेदपुर,
सिटी मैनेजर, जमशेदपुर अक्षेस
श्री सुररंजन राय, मंडल अध्यक्ष, भाजपा, बिस्टुपुर मंडल,
श्रीमती नीरा सिंह, जिला अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा, जमशेदपुर नगर.

उपर्युक्त व्यक्तियों से हुई बातचीत और अनुमंडलाधिकारी, धालभूम के संलग्न आदेश के अवलोकन के बाद मैं प्रथमदृष्ट्या जिस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ वह जमशेदपुर पुलिस प्रशासन के लिये शर्मनाक है. पुलिस और प्रशासन के उच्च पदस्थ अधिकारियो को मैने इससे अवगत करा दिया है. यहाँ इसका विस्तार से उल्लेख करना मुझे उचित नही प्रतीत हो रहा है. संक्षेप मे कहा जाय तो यह मामला जमशेदपुर मे पदस्थापित पुलिस और प्रशासन के अधीनस्थ अधिकारियों के जनविरोधी एवं कानून विरोधी आचरण तथा उनकी अवैधानिक कार्यप्रणाली का ज्वलंत उदाहरण है. इस प्रकार के कई अन्य उदाहरण जमशेदपुर में अक्सर दिखाई पड़ते रहते हैं जिनके बारे मे मैं जिलास्तरीय वरीय अधिकारियों को अवगत कराते रहता हूँ और समय समय पर ऐसे संदर्भों मे उनसे जनहित को सर्वोपरि रखते हुये वस्तुपरक एवं विधिसम्मत कदम उठाने की अपनी अपेक्षा अभिव्यक्त करते रहता हूँ.

प्रासंगिक विषय में थाना प्रभारी, बिस्टुपुर और अंचलाधिकारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक, जमशेदपुर की भूमिका घोर आपत्तिजनक है. अनुमंडलाधिकारी, धालभूम को इन्होने गुमराह करने वाला अपूर्ण प्रतिवेदन भेजा है जिसमे भूखंड की प्रकृति के संबंध में और इसपर हुये हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर छिपाया है ताकि अनुमंडलाधिकारी का निर्णय प्रभावित हो और ऐसा ही हुआ भी. इस बारे मे जमशेदपुर अक्षेस द्वारा एक से अधिक बार की गई कारवाई का और सामाजिक–राजनीतिक कर्मियों द्वारा इस भूखंड पर 22 अक्टूबर 2017 को चलाये गये स्वच्छता अभियान का तथा इस भूखंड के सरकारी स्वामित्व संबंधी पहलु का तो इन्होने प्रतिवेदन में जानबूझकर जिक्र ही नही किया है. टाटा स्टील लि० के मुकदमा मे हुये फैसला को तो इन्होने प्रतिवेदन में अंकित किया है, पर टाटा स्टील लि० के लैंड डिपार्टमेंट से इस बारे मे जानकारी लेने का प्रयास इन्होने नही किया है. प्रासंगिक भूखंड की वर्तमान भौगोलिक स्थिति की उतनी ही जानकारी इनके प्रतिवेदन में है जितना एक पक्ष ने इन्हे उपलब्ध कराया है. इनके प्रतिवेदन मे जिन गवाहों का जिक्र है उनमें से एक तो पिछले पाँच महीना से जमशेदपुर से बाहर है. इस भूखंड की प्रकृति,

Scanned with OKEN Scanner

इसके वास्तविक स्वरूप एबं इसमे विगत ६ माह में विभिन्न स्तरों पर हुये निर्माण/किये गये हालिया परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे मे ये प्रतिवेदन मौन हैं. इसकी सटीक जानकारी उपग्रह विम्बविधान (सैटेलाइट इमेजरी) से मिल सकती है. इन प्रतिवेदनों में भूखंड पर चहारदीवारी सहित हुये अन्य निर्माण कार्य का कोई भी नकशा निर्माणकर्ताओं के पास है या नही इसके बारे मे इनके प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नही है जबकि ये निर्माण सबके सामने हुये हैं और हो रहे हैं. पर न तो बिस्टुपुर के थाना प्रभारी ने और न ही अंचलाधिकारी ने इस बारे मे कोई छानबीन की है और न ही जमशेदपुर अक्षेस से इस बारे में जानकारी लेने का प्रयत्न किया है. यह केवल इनकी लापरवाही नही बल्कि साँठगाँठ एवं गैरकानूनी आचरण का द्योतक है.

विभिन्न स्तरों पर वरीय अधिकारियो के आदेशों की मनोनुकूल अवहेलना करने की प्रवृति जमशेदपुर के पुलिस तंत्र की कार्यसंस्कृति का अंग बनते जा रही है. ऐसे मामलों की से मैने पहले भी आरक्षी महानिदेशक समेत पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों को लिखित/मौखिक रुप मे अवगत कराया है. पर खास असर नही हुआ है. एक मामले मे तो पुलिस महानिदेशक के लिखित आदेशों का अनुपालन भी जमशेदपुर पुलिस ने विगत दो वर्ष से नही किया है. इस मामले में भी ऐसा हुआ है. वरीय आरक्षी क्षीर बीतके निर्देश की अवहेलना बिस्टुपुर थाना प्रभारी ने किया है. कतिपय अन्य मामले भी हैं. कतिपय मामलों में जमशेदपुर के प्रशासन और पुलिस तंत्र का आचरण नियम और कानून को धत्ता बताने वाला है. चार–पाँच रोज पूर्व जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र में ऐसी ही घटना हुई है जिससे लगता है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन नियम-कानून के प्रति प्रतिबद्ध है या किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से नियंत्रित है. प्रासंगिक मामला में भी इनका आचरण ऐसा ही है.

उपर्युक्त के आलोक में प्रासंगिक प्रकरण की उच्चस्तरीय जाँच तथा जांचोपरांत दोषियों के विरुद्ध कठोर कारवाई आवश्यक है. इस बारे मे कृत कार्य से मुझे अवगत करायेंगे.

सरयू राय 24.4.19

सरयू राय